

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./कोरोनावाइरस/2020/46

दिनांक: 7-3-2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:—दिनांक 9.03.2020 को आयोजित कोरोनावाइरस से संबंधित राज्य स्तरीय टी.ओ.टी में प्रतिभागियों को भिजवाने बावत्।

संदर्भ:—इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक चि.प्र./कोरोनावाइरस/2020/26 दिनांक 04.03.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा समस्त जिलों से दिनांक 09.03.2020 को कोरोनावाइरस से संबंधित टी.ओ.टी. हेतु चिकित्सक व एपिडेमियोलोजिस्ट को भेजने एवं संदर्भित के नाम दिनांक 04.03.2020 को अवगत कराने बावत् लिखा गया था।

सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से वार्ता कर प्रत्येक जिले से एक फिजिशियन, एक माईक्रोबाइलोजिस्ट/पेथोलोजिस्ट एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं एपिडेमियोलोजिस्ट को आवश्यक रूप से दिनांक 09.03.2020 सोमवार को प्रातः 10:00 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान(सीफू) झालाना डूंगरी जयपुर पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कि पालना आवश्यक रूप से की जावे।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./कोरोनावाइरस/2020/46

दिनांक: 7-3-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीफू), झालाना डूंगरी जयपुर।
4. अति. निदेशक चिकित्सा प्रशासन, मुख्यालय जयपुर।
5. अति. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि एनटीओटी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अपने स्तर से सूचित करें।
6. नोडल अधिकारी आई.डी.एस.पी., मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, जोन-समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर